अध्याय–8
अनिवार्य शासकीय सेवा बाण्ड

- चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–950/71–2–82/2017 दिनांक 07.03.2018 यथा संशोधित में प्रदान निर्देशो के कम में राजकीय मेडिकल/डेण्टल कालेजो/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में स्नातक (एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0) पाठ्यकमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों से अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित बाण्ड भराया जायेगा, जो निम्नानुसार हैः–

क0	पाठ्यकम	बाण्ड की अवधि	बाण्ड की धनराशि	सेवा का स्थान
1	स्नातक (एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0) पाठ्यकम	02 वर्ष	रू0 10.00 लाख	"यथासम्भव/यथावश्यकता महानगरों को छोड़कर अन्य जनपदों में स्थापित राजकीय मेडिकल कालेजों में नॉन पी0जी0 जे0आर0 के रूप में तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मे संविदा चिकित्सा अधिकारी के रूप में।"

डिबारमेन्टः–

- शासनादेश संख्या–।/676928/2024 दिनांक 26 जून 2024 के कम में राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा अन्तिम चक की काउंसिलिंग के पश्चात् पाठ्यकम पूर्ण करने से पूर्व सीट छोड़ी जाती है, तो उसे अगले शैक्षणिक सत्र की प्रवेश प्रकिया से Debar कर दिया जायेगा।